नम्बर
अहकाम
हुक्म की
में जारी हुए

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या 51/2024 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
रामाराम पुत्र लूम्बाराम जाति मेघवाल, निवासी राजबेरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. कमलादेवी पत्नी अणदाराम 3. अणदाराम पुत्र रतनाराम 4. अर्जुनराम पुत्र रेवंताराम 5. उमाराम पुत्र रतनाराम 6. गुड्डी पुत्री रेवंताराम 7. ज्वाराराम पुत्र मालाराम 8. जोगाराम पुत्र रतनाराम 9. टीकमाराम पुत्र रतनाराम 10. नौजीदेवी पत्नी रेवंताराम 11. पुष्पा पुत्री रेवंताराम 12. भीमाराम पुत्र मालाराम 13. भोमाराम पुत्र रेवंताराम 14. मुन्नी पुत्री रेवंताराम जाति मेघवाल, निवासी राजबेरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 15. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू

उपस्थित :— अधिवक्ता वादी — श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 12.12.2024

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा राजबेरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 899/457, 449, 450 रकबा क्रमशः 3.7231, 0.0324, 6.8473 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। वादी को उक्त विवादित आराजी अपने पिता लूम्बाराम के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आरजी के फौतगी नामांतरकरण से राजस्व रेकर्ड में लिपिकीय भूल व संहवन से वादी का नाम रामूराम पुत्र लुम्बाराम अंकित कर दिया गया जबकि वादी का सही एंव वास्तविक नाम रामाराम पुत्र लूम्बाराम है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी आदि में उसका सही एवं वास्तविक नाम रामाराम पुत्र लूम्बाराम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में रामूराम पुत्र लुम्बाराम के स्थान पर रामाराम पुत्र लूम्बाराम नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए वादी के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

पेश किया गया। वादी द्वारा अपना वास्तविक नाम रामाराम पुत्र लूम्बाराम होने के समर्थन में दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पैन कार्ड, राशनकार्ड आदि दस्तावेज पेश किये गये।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम रामूराम पुत्र लुम्बाराम के स्थान पर रामाराम पुत्र लूम्बाराम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रामूराम पुत्र लुम्बाराम दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड,, राशनकार्ड आदि में वादी का नाम रामाराम पुत्र लूम्बाराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम रामूराम पुत्र लुम्बाराम के स्थान पर रामाराम पुत्र लूम्बाराम किये जाने का निवेदन किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम रामूराम पुत्र लुम्बाराम के स्थान पर रामाराम पुत्र लूम्बाराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा राजबेरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 899/457, 449, 450 रकबा क्रमशः 3.7231, 0.0324, 6.8473 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम रामूराम पुत्र लुम्बाराम के स्थान पर रामाराम पुत्र लूम्बाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner